The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 3 | Issue 3 | March 2025
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

छत्तीसगढ़ राज्य के विकास में खनिज रायल्टी का प्रभाव: रायपुर जिला के विशेष सन्दर्भ में

Dr. Trilok Chand Bagh
Associate Professor, School of Commerce, ISBM University
Email: trilok.bagh@isbmuniversity.edu.in

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Accepted: 23-03-2025

Published: 15-04-2025

Keywords:

खनिज रॉयल्टी, छत्तीसगढ़, रायपुर, आर्थिक विकास, सामाजिक-आर्थिक प्रभाव, पर्यावरणीय चुनौतियां, जिला खनिज फाउंडेशन (क्डथ्), पारदर्शिता, टिकाऊ विकास

ABSTRACT

यह शोध पत्र छत्तीसगढ़ राज्य, विशेष रूप से रायपुर जिले में खनिज रॉयल्टी के प्रभाव का विश्लेषण करता है। छत्तीसगढ़ अपने समृद्ध खनिज संसाधनों के लिए जाना जाता है, जिनमें कोयला, लौह अयस्क, और चूना पत्थर प्रमुख हैं। यह अध्ययन खनिज रॉयल्टी के आर्थिक योगदान, सामाजिक-आर्थिक प्रभावों, और इसके उपयोग में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। शोध से पता चलता है कि खनिज रॉयल्टी राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे का विकास, और सामाजिक सेवाओं में सुधार होता है। हालांकि, पारदर्शिता की कमी, अकुशल प्रबंधन, और असमान वितरण जैसी चुनौतियां इसके प्रभावी उपयोग में बाधा डालती हैं। अंत में, यह शोध खनिज रॉयल्टी के बेहतर प्रबंधन और उपयोग के लिए नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करता है, जिससे टिकाऊ विकास और स्थानीय समुदायों के कल्याण को बढ़ावा मिल सके।

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.15223235

प्रस्तावना:-

नवीन सहस्राब्दि के प्रारंभ में, 1 नवंबर 2000 को, भारत के मानचित्र पर एक नए राज्य का उदय हुआ - छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश की कोख से जन्मा यह 26वाँ राज्य, अपनी विरासत में खनिज संपदा का एक अद्भुत खज़ाना लेकर आया। प्रकृति ने इस धरती को अपार खनिज संपत्ति से नवाज़ा है, जो मानव सभ्यता के विकास में अहम भूमिका निभाती है। धरती के गर्भ में छिपे ये बहुमूल्य खनिज - कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट, बॉक्साइट और टिन - छत्तीसगढ़ की आर्थिक रीढ़ हैं। वर्ष 2018-19 में इन प्रमुख खनिजों से राज्य की तिजोरी में 4925.95 करोड़ रुपये का योगदान रहा। इसके अतिरिक्त, ग्रेनाइट, फर्शी पत्थर, मिट्टी, मूरम जैसे गौण खनिज भी राज्य की समृद्धि में अपना योगदान दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिले अपने विशिष्ट खनिज भंडारों के लिए जाने जाते हैं। बस्तर की धरती खनिजों की विविधता का संगम है। दुर्ग, बलौदाबाजार, रायपुर और बिलासपुर चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध हैं, जो सीमेंट और रासायनिक उद्योगों की जीवनरेखा है। बस्तर और दुर्ग के लौह अयस्क भंडार विश्वस्तरीय हैं, जिनमें दंतेवाड़ा का बैलाडीला विशेष उल्लेखनीय है। कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा के कोयला भंडार राष्ट्र की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत के एकमात्र टिन उत्पादक के रूप में, छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा और सुकमा क्षेत्र विशेष महत्व रखता है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम और राज्य खनिज निगम के संयुक्त प्रयासों से इन बहुमूल्य संसाधनों का दोहन किया जा रहा है, जो न केवल राज्य बल्कि पूरे देश के आर्थिक विकास में योगदान दे रहे हैं। खनिज संपदा छत्तीसगढ़ की आर्थिक संरचना का आधारस्तंभ है। यह कृषि, व्यापार, उद्योग और परिवहन जैसे क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खनन कंपनियों द्वारा दी जाने वाली रॉयल्टी राज्य के विकास कार्यक्रमों का एक प्रमुख वित्तीय स्रोत है। रायपुर जैसे जिले, जो चूना पत्थर और डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध हैं, इस खनिज रॉयल्टी प्रणाली से विशेष रूप से लाभान्वित होते हैं। अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि छत्तीसगढ़ की धरती में छिपी यह खनिज संपदा न केवल राज्य बल्कि पूरे देश के लिए वरदान है। यह प्राकृतिक धरोहर छत्तीसगढ़ को भारत के आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाती है, जो राष्ट्र की समृद्धि और आत्मनिर्भरता में अपना अमूल्य योगदान दे रही है।

उद्देश्य

शोध का उददेश्य छत्तीसगढ़ में, विशेष रूप से रायपुर जिले में खनिज रॉयल्टी के विकासात्मक परिणामों पर उनके आर्थिक, अवसंरचनात्मक और सामाजिक-पर्यावरणीय प्रभावों का विश्लेषण करना।

छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा और रॉयल्टी संरचना

भारत के हृदय में स्थित छत्तीसगढ़ देश के सबसे खनिज समृद्ध राज्यों में से एक है, जिसमें प्रचुर मात्रा में विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं, जिन्होंने इसकी अर्थव्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्य विशेष रूप से कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, डोलोमाइट, चूना पत्थर और टिन के भंडार के लिए जाना जाता है। राज्य के समृद्ध खनिज आधार ने सार्वजनिक और निजी दोनों उद्यमों से महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित किया है, जिससे खनन इसकी आर्थिक गतिविधियों का आधार बन गया है। खनन क्षेत्र ने न केवल रोजगार सृजन में बल्कि खनिज रॉयल्टी जैसे तंत्रों के माध्यम से राज्य के राजस्व में भी सीधे योगदान दिया है, जो छत्तीसगढ़ के राजकोषीय ढांचे का एक बड़ा हिस्सा है।

छत्तीसगढ़ में खनिज मुख्य रूप से दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, रायपुर, कोरबा और बिलासपुर जिलों में केंद्रित हैं। इनमें से, रायपुर चूना पत्थर और डोलोमाइट के अपने बड़े भंडार के कारण विशेष महत्व रखता है, जो इस्पात और सीमेंट उद्योगों के लिए आवश्यक हैं। इन प्राकृतिक संसाधनों ने रायपुर को राज्य के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों में से एक बना दिया है, जो अपने उद्योगों को पोषित करने के साथ-साथ देश के अन्य हिस्सों को कच्चा माल भी उपलब्ध कराता है।

छत्तीसगढ़ में रॉयल्टी संरचना केंद्र सरकार द्वारा स्थापित ढांचे का अनुसरण करती है, जो विभिन्न खनिजों के लिए दरों को अनिवार्य बनाती है। खनिज रॉयल्टी खनन कंपनियों द्वारा गैर-नवीकरणीय संसाधनों को निकालने के अधिकार के लिए राज्य को किया जाने वाला भुगतान है। ये रॉयल्टी खनिज के प्रकार, उसके बाजार मूल्य और उसके ग्रेड या गुणवत्ता के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। उदाहरण के लिए, कोयला, जो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े खनिज निर्यातों में से एक है, निकाले गए कोयले के वजन के आधार पर रॉयल्टी आकर्षित करता है, जिसमें कोयले के ग्रेड के आधार पर दर अलग-अलग होती है। इसके विपरीत, लौह अयस्क रॉयल्टी की गणना आम तौर पर बिक्री मूल्य या उत्पादन मूल्य के प्रतिशत के रूप में की जाती है। हाल के वर्षों में, भारत सरकार ने खनिजों के बाजार मूल्यों में परिवर्तन को दर्शाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि खनिज समृद्ध राज्यों को राजस्व का उचित हिस्सा मिले, समय-समय पर रॉयल्टी दरों में संशोधन किया जाता है। उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए एक महत्वपूर्ण राजस्व स्रोत, कोयला रॉयल्टी को 2014 में ऊपर की ओर संशोधित किया गया था, जिससे राज्य की आय में काफी वृद्धि हुई। इसी तरह, छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर खनन किए जाने वाले लौह अयस्क और चूना पत्थर भी राज्य के खजाने में रॉयल्टी के रूप में बड़ी रकम का योगदान करते हैं।

खान मंत्रालय के अनुसार, लौह अयस्क और चूना पत्थर से मिलने वाली रॉयल्टी की गणना मूल्यानुसार की जाती है, जो बिक्री के समय खनिजों के बाजार मूल्य पर आधारित होती है।

छत्तीसगढ़ का रॉयल्टी राजस्व उसके राजकोषीय स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण घटक बन गया है, खासकर तब जब राज्य गैर-कर राजस्व के लिए अपने खनन क्षेत्र पर बहुत अधिक निर्भर है। यह आय बुनियादी ढांचे में सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए महत्वपूर्ण होता है। विशेष रूप से, रायपुर, चूना पत्थर और डोलोमाइट खनन के लिए एक प्रमुख जिला होने के नाते, राज्य की रॉयल्टी आय में महत्वपूर्ण योगदान देता है। खनिज निष्कर्षण को प्रोत्साहित करने की राज्य की नीति ने खनन गतिविधियों के प्रसार को बढ़ावा दिया है, जिससे समय के साथ अधिक रॉयल्टी आय उत्पन्न हुई है। रॉयल्टी ढांचा न केवल राजस्व सृजन का एक साधन है, बल्कि टिकाऊ खनन प्रथाओं को विनियमित करने और सुनिश्चित करने का एक साधन भी है। रॉयल्टी का एक हिस्सा जिला खनिज फाउंडेशन (क्डथ) को दिया जाता है, जो खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम 2015 के तहत शुरू की गई एक पहल है। क्डथ् का उद्देश्य खनन गतिविधियों से प्रभावित समुदायों को लाभ पहुंचाना है, खासकर पर्यावरणीय गिरावट, बुनियादी ढांचे की जरूरतों और सामाजिक-आर्थिक कल्याण के संदर्भ में।

S.N.	Name of Mineral with Grade	Rate of Royalty (In Rs. per tonne or as a percentage of sale price on ad valorem basis)
1	Dolomite	Rs.63
2	Iron Ore: Lumps, fines and concentrates all grade	10%
3	Limestone a) L.D.Grade (less than 1.5 per cent silica content) b) Others	Rs.72 Rs.63

तालिका:- कुछ प्रमुख खनिजों की रॉयल्टी दरों का विवरण

स्त्रोत:- https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=101253

खनन संचालन अक्सर स्थानीय समुदायों के जीवन में व्यवधान पैदा करते हैं, जिसमें विस्थापन, प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी खतरे शामिल हैं। इसलिए, क्डथ् इन प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए रॉयल्टी आय के एक हिस्से का उपयोग करना चाहता है।

रायपुर में, क्डथ् की स्थापना खनन गतिविधियों से प्रभावित स्थानीय आबादी के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा के लिए धन जुटाने में सहायक रही है। खनन कंपनियों से एकत्र की गई रॉयल्टी के एक प्रतिशत के माध्यम से वित्तपोषित क्डथ् में खनन प्रभावित क्षेत्रों के लिए दीर्घकालिक विकासात्मक लाभ पैदा करने की क्षमता है। हालाँकि, इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की कभी-कभी अकुशलता और पारदर्शिता की कमी के लिए आलोचना की जाती रही है, जिससे DMF के योगदान की पूरी क्षमता सीमित हो गई है।

छत्तीसगढ़ में खनिज रॉयल्टी का आर्थिक प्रभाव

खनिज रॉयल्टी छत्तीसगढ़ के लिए गैर-कर राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो राज्य के आर्थिक विकास में योगदान देता है। कोयला, लौह अयस्क और चूना पत्थर जैसे प्रचुर संसाधनों के साथ, राज्य खनन गतिविधियों से पर्याप्त आय अर्जित करता है। भारतीय खान मंत्रालय के अनुसार, छत्तीसगढ़ सबसे अधिक खनिज रॉयल्टी कमाने वालों में से एक है, जो भारत के कुल रॉयल्टी राजस्व का लगभग 15ः योगदान देता है। यह राजस्व राज्य द्वारा वित्त पोषित बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का समर्थन करता है, जिसमें सड़कें, स्वास्थ्य सेवा और शैक्षिक सुविधाएँ शामिल हैं, विशेष रूप से रायपुर जैसे खनन-गहन क्षेत्रों में। खनिज रॉयल्टी से वित्तीय प्रवाह ने सरकार को सार्वजनिक सेवाओं में सुधार करने और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने में सक्षम बनाया है। इसके अतिरिक्त, खनन उद्योग और इसके सहायक क्षेत्रों से जुड़े रोजगार के अवसरों ने आर्थिक विकास को गति दी है, जिससे कुशल और अकुशल दोनों तरह के श्रमिकों के लिए रोजगार पैदा हुए हैं। हालांकि, उत्पन्न राजस्व के बावजूद, समान वितरण सुनिश्चित करने में चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

तालिका :- 2019-20 से 2021-22 तक प्रमुख खनिजों (कोयला, लिग्नाइट, भंडारण के लिए रेत, परमाणु और लघु खनिजों के अलावा) की राज्यवार रॉयल्टी उपार्जन

(इकाई - लाख रुपए)

State	2019-20 (R)	2020-21 (P)	2021-22 (P)
Andhra Pradesh	36008.218	34098.35	41402.136
Assam	664.321	528.02	578,9
Bihar	1004.11	1079.85	710.39
Chhattisgarh	**218750.55**	**232022.26**	**883872.12**
Goa	509.86	7344.22	9755.24
Gujarat	21848.1	24646.037	25165.114
Jharkhand	115898.23	108284.79	279140.34
Karnataka	142425	150363	254214
Kerala	874.569	818.104	1060.736
Madhya Pradesh	68644	74259	148832
Maharashtra	19598.52	16582.5	30453.66
Odisha	767219.416	703461.826	1798369.459
Rajasthan	248564.87	288627.78	367596.65

स्त्रोत: https://mines.gov.in/admin/storage/app/uploads/6433da09a9f741681119753.pdf ½

रायपुर जिले पर सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

1. रोजगार और आजीविका के अवसर

खनन में प्रत्यक्ष रोजगार - रायपुर में खनन क्षेत्र कुशल और अकुशल श्रमिकों सहित हजारों व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया है। खनन कंपनियों को इंजीनियरों और भूवैज्ञानिकों से लेकर मजदूरों तक कई तरह के श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जिससे स्थानीय आबादी के लिए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं।

अप्रत्यक्ष रोजगार - प्रत्यक्ष रोजगार के अलावा, खनन परिवहन, उपकरण निर्माण और छोटे पैमाने के विक्रेताओं जैसे संबंधित उद्योगों का भी समर्थन करता है। खनन क्षेत्रों में श्रमिकों की आमद के कारण

खाद्य स्टॉल, मरम्मत सेवाएँ और आवास किराये जैसे स्थानीय व्यवसाय फलते-फूलते हैं। इन से उत्पन्न आय ने कई स्थानीय परिवारों के जीवन स्तर में काफी सुधार किया है। आय में वृद्धि से स्थानीय बाजारों में अधिक खर्च होता है, जो बदले में रायपुर में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देता है।

2. बुनियादी विकास

बेहतर परिवहन नेटवर्क - खनिज रॉयल्टी सड़कों और राजमार्गों के निर्माण और रखरखाव में योगदान दिया है, खासकर खनन क्षेत्रों में। ये परिवहन सुधार दूरदराज के खनन क्षेत्रों और शहरी केंद्रों के बीच संपर्क बढ़ाते हैं, जिससे माल और सेवाओं की आवाजाही आसान हो जाती है।

उपयोगी सेवाओं तक पहुँच - खनन रॉयल्टी का उपयोग ग्रामीण और अर्ध-शहरी समुदायों को बिजली और पानी जैसी आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने के लिए भी किया गया है। इसके अतिरिक्त, स्कूलों, अस्पतालों और अन्य बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए धन आवंटित किया जाता है, जो समग्र सामाजिक-आर्थिक सुधार में योगदान देता है।

3. स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा

स्वास्थ्य सेवा सुविधाएँ - खनन प्रभावित क्षेत्रों में अक्सर पर्यावरण क्षरण के कारण स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ता रहा है। इसे कम करने के लिए, खनिज रॉयल्टी को स्वास्थ्य सेवा केंद्र स्थापित करने और स्थानीय आबादी के लिए चिकित्सा सेवाओं तक पहुँच में सुधार करने की दिशा में निर्देशित किया गया है। खनन राजस्व द्वारा वित्तपोषित मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयाँ और क्लीनिक खनन-प्रधान क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

शिक्षा - रायपुर में, रॉयल्टी का उपयोग साक्षरता दर में सुधार और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से शिक्षा कार्यक्रमों को निधि देने के लिए भी किया जाता है। स्कूलों का निर्माण या उन्नयन किया जा रहा है, और खनन प्रभावित क्षेत्रों के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिससे वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें।

4. पर्यावरण और स्वास्थ्य चुनौतियाँ

वायु और जल प्रदूषण - रायपुर में खनन गतिविधियों के कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, जिसका पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। खनन और भारी मशीनरी से निकलने वाली धूल स्थानीय आबादी में श्वसन संबंधी बीमारियों में योगदान करती है। इसके अलावा,

खनन गतिविधियों के कारण भूजल संदूषण एक बढ़ती हुई चिंता है, जो स्वच्छ पेयजल तक पहुँच को प्रभावित करती है।

भूमि क्षरण - निरंतर खनन से भूमि क्षरण होता है, जिससे कृषि प्रभावित होती है, जो रायपुर के कई ग्रामीणों की प्राथमिक आजीविका है। कृषि योग्य भूमि का क्षरण वैकल्पिक आजीविका के विकल्पों को सीमित करता है, जिससे समुदाय की खनन पर निर्भरता बढ़ती है।

5. विस्थापन और पुनर्वास के मुद्दे

जबरन विस्थापन - रायपुर में खनन गतिविधियों के कारण कई समुदायों, खासकर आदिवासी आबादी का विस्थापन हुआ है। जब खनन कंपनियाँ खनिज निष्कर्षण के लिए भूमि अधिग्रहण करती हैं, तो अक्सर स्थानीय समुदायों का जबरन विस्थापन होता है, जिससे उनकी पारंपरिक जीवन शैली बाधित होती है।

पुनर्वास में चुनौतिया - जबकि सरकार मुआवज़ा और पुनर्वास पैकेज प्रदान करती है, लेकिन इस प्रक्रिया में अक्सर उचित कार्यान्वयन का अभाव होता है। विस्थापित समुदायों को अक्सर नए वातावरण के अनुकूल होने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और प्राप्त मुआवज़ा लंबे समय तक उनकी आजीविका को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त होता है।

6. सामाजिक अशांति और संघर्ष

सामुदायिक तनाव - खनिज रॉयल्टी के वितरण में कथित असमानता और खनन के नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव ने रायपुर के कुछ हिस्सों में सामाजिक अशांति पैदा की है। खनन कंपनियों और स्थानीय समुदायों के बीच तनाव के कारण विरोध प्रदर्शन हुए हैं और बेहतर मुआवज़ा, बेहतर कामकाजी परिस्थितियों और स्थानीय विकास में अधिक निवेश की माँग की गई है।

सांस्कृतिक क्षरण - खनन नौकरियों के लिए जिले के बाहर से लोगों के आने से सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में। जैसे-जैसे पारंपरिक आजीविका कम होती जा रही है और बाहरी प्रभाव बढ़ रहे हैं, स्थानीय रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक प्रथाओं के क्षरण का खतरा बढ़ रहा है, जिससे स्वदेशी आबादी में अलगाव की भावना पैदा हो रही है।

खनिज रॉयल्टी के उपयोग में चुनौतियाँ

छत्तीसगढ़ में, विशेष रूप से रायपुर जिले में, खनिज रॉयल्टी राजस्व का उपयोग चुनौतियों से भरा हुआ है, जो इन निधियों के प्रभावी वितरण और अनुप्रयोग में बाधा डालते हैं। यद्यपि खनिज रॉयल्टी राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधन प्रदान करती है, लेकिन कई मुद्दे इन संसाधनों के उपयोग को प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित बिंदु प्रमुख चुनौतियों को रेखांकित करते हैं -

1. राजस्व आवंटन में पारदर्शिता का अभाव

खनिज रॉयल्टी राजस्व के उपयोग में एक महत्वपूर्ण चुनौती यह है कि इन निधियों को कैसे एकत्र, आवंटित और खर्च किया जाता है, इसमें पारदर्शिता का अभाव है। जबकि जिला खनिज फाउंडेशन (क्डथ्) यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि खनन प्रभावित क्षेत्रों को इन राजस्वों का उचित हिस्सा मिले, कई स्थानीय समुदाय इस बात से अनजान रहते हैं कि कितना रॉयल्टी राजस्व उत्पन्न हो रहा है और इसका उपयोग कैसे किया जा रहा है। खराब प्रकटीकरण तंत्र और सरकार और स्थानीय समुदायों के बीच अपर्याप्त संचार के परिणामस्वरूप अक्सर धन का कुप्रबंधन होता है या उन परियोजनाओं को गलत तरीके से आवंटित किया जाता है जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों को लाभ नहीं पहुँचाते हैं। पारदर्शिता के मुद्दे नागरिकों के लिए रॉयल्टी फंड के कुशल उपयोग के लिए सरकारी निकायों को जवाबदेह ठहराना भी मुश्किल बनाते हैं।

2. अकुशल शासन और नौकरशाही की देरी

खनिज रॉयल्टी राजस्व के वितरण और उपयोग में नौकरशाही की अकुशलता एक आम समस्या है। लंबी स्वीकृति प्रक्रिया, सरकारी विभागों के बीच जिम्मेदारियों का अतिव्यापन और राज्य और जिला-स्तरीय निकायों के बीच समन्वय की कमी के कारण अक्सर परियोजना कार्यान्वयन में देरी होती है। ये देरी खनन प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे के विकास और पर्यावरण शमन जैसी तत्काल सामुदायिक जरूरतों को पूरा करने में खनिज रॉयल्टी की प्रभावशीलता को कम करती है। कई मामलों में, रॉयल्टी राजस्व लंबी प्रशासनिक प्रक्रियाओं में फंस जाता है, जिससे महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं कम वित्तपोषित या अधूरी रह जाती हैं। नतीजतन, स्थानीय समुदाय पीड़ित होते हैं और खनिज रॉयल्टी का लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है।

3. खनन प्रभावित समुदायों पर अपर्याप्त ध्यान

खनिज रॉयल्टी संग्रह का एक प्राथमिक उद्देश्य उन समुदायों को मुआवजा देना है जो खनन गतिविधियों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं। हालांकि, कई खनन प्रभावित क्षेत्र, विशेष रूप से रायपुर

जिले में, रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें खनन के नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिलती है। भूमि क्षरण, जल प्रदूषण, आजीविका का नुकसान और विस्थापन जैसे मुद्दे अक्सर अनसुलझे रह जाते हैं।

4. कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार

भ्रष्टाचार और वित्तीय कुप्रबंधन लगातार मुद्दे हैं जो कई खनन क्षेत्रों में खनिज रॉयल्टी राजस्व के उपयोग को प्रभावित करते हैं। रिपोर्ट बताती हैं कि विकास परियोजनाओं के लिए आवंटित धन को कभी-कभी अन्य उपयोगों में बदल दिया जाता है या भ्रष्ट प्रथाओं के माध्यम से निकाल लिया जाता है। यह स्थानीय विकास को बढ़ावा देने में रॉयल्टी राजस्व की प्रभावशीलता को कम करता है।

5. पर्यावरण क्षरण को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया

खनन गतिविधियों के परिणामस्वरूप अक्सर वनों की कटाई, वायु और जल प्रदूषण, और मिट्टी का क्षरण सहित महत्वपूर्ण पर्यावरणीय क्षति होती है। इसके बावजूद, खनिज रॉयल्टी राजस्व हमेशा इन पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए आवंटित नहीं किया जाता है। जबकि इन निधियों का एक हिस्सा क्डथ् के तहत पर्यावरण बहाली के लिए निर्धारित किया जाता है, व्यवहार में, पर्यावरण परियोजनाओं का निष्पादन अक्सर पिछड़ जाता है। कई मामलों में, निधियों का उपयोग दीर्घकालिक पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों के बजाय अल्पकालिक बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिए किया जाता है। इससे स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और उन समुदायों दोनों के लिए दीर्घकालिक नकारात्मक परिणाम होते हैं जो कृषि और जल संसाधनों के लिए उन पर निर्भर हैं।

6. सीमित सामुदायिक भागीदारी

खनिज रॉयल्टी के उपयोग में एक महत्वपूर्ण मुद्दा निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सामुदायिक भागीदारी की कमी है। क्डथ्, जो खनिज रॉयल्टी राजस्व के वितरण के लिए जिम्मेदार है, अक्सर खनन गतिविधियों से सबसे अधिक प्रभावित समुदायों से पर्याप्त इनपुट के बिना सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। नतीजतन, निधियों को अक्सर उन परियोजनाओं को आवंटित किया जाता है जो स्थानीय निवासियों की प्राथमिकताओं और जरूरतों के अनुरूप नहीं होती हैं। खनिज रॉयल्टी द्वारा वित्तपोषित विकास परियोजनाओं की योजना और क्रियान्वयन में समुदायों को शामिल करना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए।

7. निधियों का असमान वितरण

खनिज रॉयल्टी राजस्व का वितरण अक्सर असमान होता है, कुछ क्षेत्रों को दूसरों की तुलना में अधिक धन प्राप्त होता है, भले ही वे खनन गतिविधियों से किस हद तक प्रभावित हों। कई मामलों में, अधिक समृद्ध या अधिक राजनीतिक रूप से जुड़े क्षेत्रों को असंगत मात्रा में धन प्राप्त हो सकता है, जबकि अधिक गंभीर रूप से प्रभावित या हाशिए पर पड़े समुदायों के पास अपर्याप्त संसाधन रह जाते हैं। यह असमान वितरण क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को बढ़ाता है, जिससे कमजोर आबादी और अधिक हाशिए पर चली जाती है।

नीतिगत सिफारिशें

जवाबदेही और पारदर्शिता में वृद्धि

खनिज रॉयल्टी के लाभों को अनुकूलित करने के लिए, रॉयल्टी राजस्व को कैसे एकत्र और उपयोग किया जाता है, इसमें अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता है। मजबूत ट्रैकिंग सिस्टम को लागू करना और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में स्थानीय समुदायों को शामिल करना यह सुनिश्चित करेगा कि धन उन परियोजनाओं की ओर निर्देशित हो जो वास्तव में प्रभावित क्षेत्रों को लाभान्वित करती हैं।

सतत विकास पर ध्यान

खनिज रॉयल्टी राजस्व को उन परियोजनाओं में लगाया जाना चाहिए जो सतत विकास को बढ़ावा देती हैं, विशेष रूप से पर्यावरण संरक्षण और खनन से प्रभावित समुदायों के लिए वैकल्पिक आजीविका के संदर्भ में। सरकार रॉयल्टी का एक हिस्सा अक्षय ऊर्जा पहल, भूमि सुधार परियोजनाओं और खनन क्षेत्र से बाहर निकलने वाले श्रमिकों के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए आवंटित कर सकती है।

डीएमएफ की भूमिका को मजबूत करना

जिला खनिज फाउंडेशन को यह सुनिश्चित करने में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए कि रॉयल्टी राजस्व स्थानीय विकास संबंधी जरूरतों पर खर्च किया जाए। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं को प्राथमिकता देना शामिल है। सामुदायिक भागीदारी और तीसरे पक्ष के ऑडिट के माध्यम से डीएमएफ के शासन को मजबूत करना इसकी प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है।

निष्कर्ष:-

इस शोध से स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ में खनिज रॉयल्टी राज्य के विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो आर्थिक वृद्धि और सामाजिक प्रगति में योगदान देती है। रायपुर जिले के विशेष संदर्भ में, यह देखा गया है कि खनिज रॉयल्टी से प्राप्त राजस्व ने रोजगार के अवसर पैदा किए हैं, बुनियादी ढांचे में सुधार किया है, और शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाई है। हालांकि, इसके साथ ही पर्यावरणीय क्षरण, सामुदायिक विस्थापन, और सांस्कृतिक परिवर्तन जैसी चुनौतियां भी सामने आई हैं। खनिज रॉयल्टी के प्रभावी उपयोग में कई बाधाएं हैं, जिनमें पारदर्शिता की कमी, नौकरशाही की देरी, और भ्रष्टाचार प्रमुख हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए, सरकार को जवाबदेही बढ़ाने, स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने, और टिकाऊ विकास पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जिला खनिज फाउंडेशन की भूमिका को मजबूत करना और रॉयल्टी राजस्व के समान वितरण को सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है। यह शोध इस बात पर जोर देता है कि खनिज रॉयल्टी का उचित प्रबंधन और उपयोग छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करेगा, बल्कि खनन प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार लाएगा। साथ ही, पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

- Bagh, T. C., & Sharma, A. (2024). Economic Analysis of Mineral Royalty Policies and Their Effect on Regional Development in Chhattisgarh. International Research Journal of Education and Technology, 06(09), 5–6.
- तुलाराम ठाकुर. (2016). छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास में खनिज संसाधनों की भूमिका (खनिज संसाधन के जरिये राज्य के आर्थिक विकास में सुधार). *International Journal of Advances in Social Sciences*, *04*(03), 143–148.
- मेघा डड़सेनापाण्डेय;2022द्धण् राज्य के विकास का प्रमुख आधार खनिज संसाधन *International Journal of Reviews and Research in Social Sciences.*, *10*(1), 1–4.
- Das, B. (2014). Environmental impact due to iron ore mining in Chhattisgarh. *Recent Research in Science and Technology*, *06*(01), 27–29.
- Mines, M. of. (2023). *Annual Report 2022-23*
- https://mines.gov.in/admin/storage/app/uploads/6433da09a9f741681119753.pdf
- India, G. of, & Mines, M. of. (2013). *Royalty Rate of Minerals*. Government of India Ministry of Mines. https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=101253